Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय संभागीय आयुक्त	मुकाम	कैंप कोर्ट बून्दी
भैया उर्फ इब्राहीम पुत्र रमजानी निवासी तुल्लापुरा, थाना रेलवे कॉलोनी, कोटा शहर		बनाम	राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक कोटा
किस्म मुकदमा	अपील अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975	नं.	161 2025

जिला–कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.25	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री यशवीर सिंह आसावत के अपील अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील न्यायालय के श्रृवणाधिकार क्षेत्र की होने से दर्ज रजिस्टर की जाती है। प्रस्तुत अपील प्रकरण में अभिभाषक अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी का कथन है कि पुलिस थाना कॉलोनी द्वारा मार्फत शहर पुलिस अधीक्षक, कोटा दिनांक 07.09.2010 को न्यायालय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, कोटा के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत कर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण सं0 111/2010 दर्ज किया जाकर विचाराधीन प्रकरण लगभग 15 वर्ष के विलम्ब से दिनांक 03.04.2025 को आदेश पारित कर दिनांक 08.04.2025 से दिनांक 30 दिवस की अवधि के लिए कोटा जिले की सीमा से बदर कर थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के लिए निष्कासित किया गया। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध 2009 के उपरांत किसी प्रकार का कोई प्रकरण किसी पुलिस थाने में पंजीबद्ध नहीं है। अपीलार्थी एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके जिला बदर होने से उसके परिजनों के समक्ष गंभरी आर्थिक संकट हो गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2025 अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2025 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ के तहत 5 प्रकरणों में गैर सायल को दोष सिद्ध होने से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) में परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत 'गुण्डा' साबित होने से उक्त प्रकरणों से 30 दिवस के जिला जिला बदर किये जाने का निर्णय दिनांक 03.04.2025 पारित किया गया। निर्णय दिनांक 03.04.2025 अनुसार उक्त सभी प्रकरण वर्ष 2009 से पूर्व के होना प्रकट होता है तथा निर्णयानुसार इसके उपरांत कोई नवीन प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध बनना नहीं पाया गया है। साथ ही अपीलार्थी/गैरसायल की आजदिनांक 24.04.2025 की स्थिति में 17 दिवस के जिला बदर की निष्कासित होने की अवधि पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध सहानुभूतपूर्वक विचार करते हुए आजदिनांक 24.04.2025 की स्थिति से शेष 13 दिवस की जिला बदर की निष्कासित अवधि को समाप्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रकट होता है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.04.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला बदर किये जाने की अवधि को आजदिनांक 24.04.2025 तक किया जाकर शेष निष्कासित अवधि समाप्त की जाती है। (राजेन्द्र सिंह शेखावत) संभागीय आयुक्त कोटा	